



12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प. क्र. आर..... 107. रिप्यू

आय-842-II/07

- 1- बाबू पुत्र मोहन जाति मीणा
 - 2- ब्रह्मानन्द पुत्र मोहन जाति सीणा
- निवासी ग्राम जैसा तेलसील व जिला श्यापुर

-----आवेदक

जाम

- 1- संधु कुमार पुत्र हनुमान
 - 2- कीर्तिदेवी पत्नी सखनारायण
- दोनों जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नागदा तेलसील व जिला श्यापुर म.प्र.

-----अनावेदक

मुनाविलो का विरुद्ध आदेश दिनांक 27/4/07 न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के माननीय सदस्य श्रीमान् जे. टी. इक्का प. क्र. आर - 691/ द्वितीय/07 मुनाविलो का अर्जात धारा 51 म.प्र. भू. रा. संहिता

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न लिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि, ग्राम जैसा तेलसील व जिला श्यापुर के सर्वे क्र- 31 के बंटों का व नक्से में त्रामीम काबिजे सही न होने के आधार पर उसे निरस्त कराने का एक आवेदन पत्रकोलेक्टर जिला श्यापुर के समक्ष एक अन्य पक्षों के वावद पुत्र श्रील द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प. क्र. 128/2000-2000 2001 * वी. 121 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 20-4-01 द्वारा पूर्व में तेलसील न्यायालय द्वारा की गई वद का त्रामीम को निरस्त

श्री श्री न्यायालय द्वारा आज दि. 11.5.07 को प्रस्तुत।
 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमान् 5-07

R/SH

रिज-842-5/07 (शुद्ध)

सदस्य

6-6-16

प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही न चाहने से प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

सदस्य